

Date of order of proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties of pleaders where Necessary
	<p>आज आरक्षी केन्द्र 2012 के उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक/प्रधान आरक्षक/आरक्षक 2012 से अपराध क0 2008/46 द्वारा थाना प्रभारी की ओर अपराध क0 2008/46 अंतर्गत धारा 34 आ.ब.प्र.सी. Act दण्डनीय भा0दं0सं0/ अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री 2012 के अधीन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अभियुक्त/अभियुक्तगण 2012 के अधीन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>निवासी/निवासीगण 2012 के अधीन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>थाना 2012 के अधीन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>उपस्थित। अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री 2012 के अधीन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0दं0सं0/ अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द0प्र0सं0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>अभियुक्त/अभियुक्तगण द0प्र0सं0 की धारा 207 के अधीन प्राधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।</p> <p>चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।</p>	

2012 के अधीन प्रस्तुत किया गया।

Cohad Dist Rhind (M D)